न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 40/2017

अनवान :

1. रामचन्द्र पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. मूलाराम पुत्र इन्द्राज जाति निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. धर्मपाल पुत्र कलीराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। –असल अप्रार्थीगण
5. पुनीत पुत्र किरसन जरिये वली कुदरती माता पुष्पा जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
6. सोनू उर्फ साहिल पुत्र प्रहलाद जरिये वली कुदरती नाना रामस्वरूप जाति जाट निवासी नहराना जिला सिरसा।
7. ओ.बी.सी. शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबधंक।
8. एस.बी.आई बैक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबधंक छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

तरतीबी अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भादरा (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए
राज.काश्त.अधि. 1955 एवं सपठित
धारा 8(2)राज. कोलोनाईजेसन कण्डीशन एक्ट

उपस्थित : *वकील श्री पवन सिहाग – प्रार्थी*
वकील श्री प्रेमप्रकाश – अप्रार्थी सं. 03

निर्णय ***दिनांक : 5.7.18***

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की चक 14 एएमएस के वर्तमान खाता संख्या 137/134 के मु.न. 36 के किला नं. 8, 9, 12, 13 की 1.012 हैक्टर किला नं. 18/2 की 0.013 हैक्टर कुल 1.025 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी के नाम से एवं अप्रार्थी पुनीत व सोनु उर्फ साहिल के नाम से 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमबंदी सम्वत 2072–75 सलग्न आवेदन है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी के दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी पड़ती है जिसमें अप्रार्थी मूलाराम, महेन्द्र के चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 18 के पूर्वी तरफ व अप्रार्थी धर्मपाल की चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 16 व 17 के दक्षिणी तरफ से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 13 में प्रवेश करता है, उक्त रास्ता मु.न. 35 के किला नं. 20 व 21 में से स्वीकृत शुदा रास्ता से होकर आता है। परन्तु किला नं.

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला–हनुमानगढ

16, 17 व 18 में उक्त रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण उक्त रास्ता को अप्रार्थीगण ने बन्द करने की प्रार्थी को धमकी दी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति व नक्शा नजरी संलग्न आवेदन है। जिससे यह साफ रोशन है।

प्रार्थी की खातेदारी में मु.न. 36 के किला नं. 16, 17, व 18 मे से उक्त रास्ता आता है। इसके अलावा प्रार्थी के खातेदारी में आवागमन का अन्य कोई चालु या स्वीकृत शुदा रास्ता नही है, परन्तु मु.न. 36 के किला नं. 16 ता 18 में उक्त रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता को अवरूद्ध करने की धमकी दी है। यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन नही कर पायेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी पहले मुश्तर्का हुआ करतील थी परन्तु विभाजन के समय सहबन से रास्ता का अंकन नही हो सका।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी में राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशंस के प्रावधान लागू होते है तथा प्रार्थी उक्त मु.न. 36 के किला नं. 16 ता 18 में से जाने वाले रास्ता के बदले में अप्रार्थीगण को उनके चिपते हुये भूमि या नियमानुसार रूपये/कीमत देने के लिये तैयार है। प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 13 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 18 के पूर्वी तरफ व किला नं. 16 व 17 के दक्षिणी तरफ एक गटठा अर्थात सवा आठ फिट चोड़ा रास्ता स्वीकृत करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के कारण उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार अप्रार्थी बनाया गया है तथा वादभूमि ओ.बी.सी. बैक व एस.बी.आई बैक के रहन है। इसलिये बैक के शाखा प्रबंधकों को पक्षकार अप्रर्थीगण बनाया गया है। अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 भी प्रार्थी के सहखातेदार है जिन्हें भी उक्त रास्ता मिलना है तथा उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है परन्तु आवेदन पत्र पेश करने के समय मोजुद नही होने के कारण उन्हे तरतीबी अप्रार्थीगण बनाया गया है।

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने एवं रास्ता को अवरूद्ध नही करने के लिये कहा तो उन्होने ऐसा करने से कल साफ इन्कार कर दिया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5, 6 अपना इकबालदावा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 4, 7 व 8 की तामील हो चुकी है, अप्रार्थी संख्या 3 ने अपना जवाब आवेदन पत्र पेश कर मद संख्या 3 मे कथन किया है कि प्रार्थी के दक्षिण में मिन अप्रार्थी की कोई भूमि नही पड़ती है। प्रार्थी के दक्षिण में मूलाराम व महेन्द्र की कृषि भूमि पड़ती है। चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 16 व 17 के दक्षिणी तरफ से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 13 में प्रवेश नही करता है एवं अप्रार्थी सं. 3 की खातेदारी मु.न. 36 के किला नं. 16 व 17 के दक्षिणी तरफ कोई मन्जुरशुदा रास्ता नही है एवं कोई चालू रास्ता भी उक्त किलों में नही है। अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी खातेदारी में पहुचने के लिए मन्जुरशुदा रास्ता से मु.न. 35 के किला नं. 21 व 19 के पूर्वी ओर स्वीकृत करवाया था जिससे वह अपने खेत तक पहुचता है तथा मु.न. 35 के किला नं. 19, 20 के पश्चिमी ओर कोई रास्ता नही है एवं किला नं. 19 के चिपते ही पश्चिमी ओर किला नं. 16 व 17 है। उक्त चारों किलो में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। मु.न. 36 के किला नं. 13 में पहुच किसी भी सुरत में किला नं. 16 व 17 के दक्षिणी ओर से नही कर सकता है। अतः जवाब आवेदन पत्र पेशकर अर्ज है कि आवेदन पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज किया जाये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

हस्तगत प्रकरण में हमारे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया एवं उपस्थिति अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 18 के पूर्वी तरफ व किला नं. 16 व 17 के दक्षिणी तरफ एक गटठा अर्थात सवा आठ फिट चोड़ा रास्ता स्वीकृत करवाने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 18 के पूर्वी तरफ व किला नं. 16 व 17 के दक्षिणी तरफ से ही सुगम व सरल आवागमन व निकटतम दूरी है। रास्ता प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 5, 6 ने अपना इकबालदावा पेश कर प्रार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकार किया है एवं उक्त वादभूमि पहले मुर्शतका खाते की भूमि भी जिसके संबंध में प्रार्थी ने जमांबदी सम्वत 2016 चक 14 एएमएस व नक्शा मौका चक 14 एएमएस खाता संख्या 96, 12, 63, 137, 123 की प्रस्तुत की है जिसका अप्रार्थी संख्या 03 ने कोई खण्डन नही किया है तथा पक्षकरान के मध्य किसी भी प्रकार का तनाव आदि न हो इसलिऐ उक्त विवादित रास्ता के संबंध में तहसीलदार राजस्व भादरा से दिनांक 23.08.2018 को बिन्दुवार मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकित किया गया है कि मु.न. 35 के किला नं. 20, 21 में स्वीकृत शुदा रास्ता है व किला नं. 20, 21 भूमि औमप्रकाश, भगतराम पि0 कलीराम की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज भूमि है। मौके पर मु.न. 35 के किला नं. 20, 21 व मु.न. 36 के किला नं. 16 ता 18 में रास्ता बंद है। प्रार्थी रामचन्द्र पूर्व में इसी रास्ते पर आवागमन करता था, इसी रास्ते की मांग की गई है जो कि सुविधाजनक है। अप्रार्थी संख्या 03 के द्वारा दस्तावेज फोटो रास्ता प्रस्तुत की गई है वह किस चक व किस किला नं. की है अंकित नही किया गया है जिसे हस्तगत प्रकरण में साक्ष्य सबुत के रूप में नही पढा जा सकता।

धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता स्वीकृत हेतु दो आधार है (i) रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता (ii) रिकार्डेड रास्ता का अभाव।

प्रकरण में तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें अंकन किया गया है " रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है और जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है" अप्रार्थी ने कही भी यह सिद्ध नही किया है कि प्रार्थी के पास अपनी

जोत तक पहुचने के लिए रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है। हस्तगत प्रकरण में दोनों आधार (i) रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता (ii) रिकार्डेड रास्ता का अभाव साबित है।

अप्रार्थी सं. 3 ने जिस रास्ता को प्रस्तावित रास्ता से कम दूरी का बताते हुए आपति पेश की उक्त रास्ता जिन पक्षकारों की भूमि से गुजरता है उक्त काश्तकार दावा में पक्षकार नही है। प्रस्तावित रास्ता व उक्त रास्ता में मात्र एक किला का अन्तर है, जो कि बहुत अधिक दूरी नही है। किसी भी प्रकरण का निर्णय प्रकरण के पक्षकारों के मध्य गुणावगुण के आधार पर किया जाना होता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 3 की आपति पोषणीय न होने के कारण खारिज योग्य है।

वादभूमि पूर्व में मुश्तर्का खाते की भूमि थी व प्रार्थी रास्ता में जाने वाली भूमि की एवज में समान प्रकृति की भूमि देने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थी सं. 3 की भूमि के दक्षिणी तरफ स्थित है जिससे अप्रार्थी सं. 3 के भूमि के टुकड़े होने की सम्भावना नही है एवं प्रस्तावित रास्ता स्वयं अप्रार्थी के लिए उपयोगी है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मांगा गया प्रस्तावित रास्ता विधिसम्मत, न्यायोचित व सभी के लिए सुविधाजनक उपयोगी है। अतः प्रस्तावित रास्ता चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 18 के पूर्वी तरफ सवा आठ फिट चौड़ाई में एक एक बिस्वा व किला नं. 16 व 17 के दक्षिणी तरफ एक गटठा अर्थात सवा आठ फिट चोड़ाई में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आवेदन पत्र का अप्रार्थी संख्या 03 खण्डन करने में असफल रहा है, एवं आवेदन प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डीशन एक्ट का साबित होने पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि चक 14 एएमएस के मु.न. 36 के किला नं. 18 के पूर्वी तरफ सवा आठ फिट चौड़ाई में एक एक बिस्वा व किला नं. 16 व 17 के दक्षिणी तरफ एक गटठा अर्थात सवा आठ फिट चोड़ाई में एक एक बिस्वा प्रत्येक किला में रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त रास्ता में आई भूमि के बदले प्रार्थी की खातेदारी के मु0नं0 36 के किला नं0 8 में से किला के पूर्वी ओर अप्रार्थी के खेत के के चिपते हुये मु0नं0 36 के किला नं 7 के पश्चिमी तरफ चिपते हुए उत्तर से दक्षिण लम्बाई में 2 बिस्वा खातेदारी, अप्रार्थी के खातेदारी दर्ज की जावे। प्रार्थी व जिस अप्रार्थी की भूमि जिस बैंक के रहन है वह यथावत् रहन रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.9.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला–हनुमानगढ
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ